M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / BIO INN. KIT / 2025–26 / 1308 दिनांक : 15.07.2025
16

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त) / क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त)

विषय : BIO INNOCULANT KIT की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : BIO INNOCULANT KIT के लिए निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 03.02.2025

निगम द्वारा BIO INNOCULANT KIT हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध निष्पादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग – अनलोडिंग एवं इंस्टालेशन सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S INTERNATIONAL BIOTECH PRODUCTS, 216/2, GANDHI NAGAR, RATLAM (MP)
CONTECT PERSON : Dr. R.R. SHARMA, PROPRIETOR : 9098890202, 9425103933
E-MAIL : ibtpindial@gmail.com

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
01	बायो–इनोक्यूलेंट किट (BASCILLUS MEGATERIUM PSEUDOMONAS ALCALIGENES TRICHODERMA REESIE ASPER GILLUS FUMIGATUS)	**709.50**	**85.14**	**794.64**	**709.50**	**35.48**	**89.40**	**834.37**

प्रदायगी की शर्ते :

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **15.07.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **15.07.2025** से **14.10.2025**) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार BIO INNOCULANT KIT का प्रदाय आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, क्रेता विभाग से प्राप्त मांग में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL

......2

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) सामग्री की प्रदायगी केता विभाग को जिला प्रबंधक एवं केता विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति में भौतिक सत्यापन उपरांत निगम द्वारा जारी चालान से की जावे। किसी भी स्थिति में केता विभाग को प्रदायक द्वारा सीधे प्रदायगी न की जावे, यह सुनिश्चित किया जावे।

(ब) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(स) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित BIO INNOCULANT KIT प्रदाय करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(द) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> – बायो इनोक्योलेंट किट के लिए सामग्री की गुणवत्ता में निम्नानुसार कॉलोनी गणना होनी चाहिये :–

S.N.	TYPE OF BACTERIA/FUNGI	COLONY COUNT		QUANTITY IN ONE KIT
01	BACILLUS MEGATERIUM	$1.0X10^7$	C.F.U./GM	1.000 KG
02	PSEUDOMONAS ALCALIGENES	$1.0X10^7$	C.F.U./GM	1.000 KG
03	TRICHODERMA REESIE	$1.0X10^7$	C.F.U./GM	0.500 KG
04	ASPER GILLUS FUMIGATUS	$1.0X10^7$	C.F.U./GM	1.000 KG
			TOTAL -	**3.500 KG**
नोट : प्रदायगी के साथ इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जावे।				

प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर प्रदायक के विरूद्ध आर.सी.ओ. की शर्तो अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

......3

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित बायो इनोक्योलेंट किट प्रदाय किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत "भुगतान पश्चात् भुगतान" की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा बायो इनोक्यूलेंट किट हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 03.02.2025 में दिये गये हैं। आदेश में तकनीकी मापदण्डों का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके।

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा बायो इनोक्यूलेंट किट हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 03.02.2025 अनुसार रहेंगी।

प्रबंधक (विपणन)
16/07/25

1309
16-7-25

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल।
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश वन भवन, तुलसी नगर, लिंक रोड नम्बर–2, भोपाल।
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. **M/S INTERNATIONAL BIOTECH PRODUCTS,** 216/2, GANDHI NAGAR, RATLAM

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

प्रबंधक (विपणन)
16/07/25

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / BIO INN. KIT / 2025–26 / 1308 दिनांक : 15.07.2025 / 16

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त) / क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त)

विषय : BIO INNOCULANT KIT की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : BIO INNOCULANT KIT के लिए निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 03.02.2025

निगम द्वारा BIO INNOCULANT KIT हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध निष्पादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग – अनलोडिंग एवं इंस्टालेशन सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S INTERNATIONAL BIOTECH PRODUCTS, 216/2, GANDHI NAGAR, RATLAM (MP)
CONTECT PERSON : Dr. R.R. SHARMA, PROPRIETOR : 9098890202, 9425103933
E-MAIL : ibtpindial@gmail.com

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
01	बायो–इनोक्यूलेंट किट (BASCILLUS MEGATERIUM PSEUDOMONAS ALCALIGENES TRICHODERMA REESIE ASPER GILLUS FUMIGATUS)	**709.50**	**85.14**	**794.64**	**709.50**	**35.48**	**89.40**	**834.37**

प्रदायगी की शर्तें :

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **15.07.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **15.07.2025** से **14.10.2025**) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार BIO INNOCULANT KIT का प्रदाय आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, क्रेता विभाग से प्राप्त मांग में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) सामग्री की प्रदायगी क्रेता विभाग को जिला प्रबंधक एवं क्रेता विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति में भौतिक सत्यापन उपरांत निगम द्वारा जारी चालान से की जावे। किसी भी स्थिति में क्रेता विभाग को प्रदायक द्वारा सीधे प्रदायगी न की जावे, यह सुनिश्चित किया जावे।

(ब) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(स) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित BIO INNOCULANT KIT प्रदाय करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(द) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> – बायो इनोक्योलेंट किट के लिए सामग्री की गुणवत्ता में निम्नानुसार कॉलोनी गणना होनी चाहिये :–

S.N.	TYPE OF BACTERIA/FUNGI	COLONY COUNT		QUANTITY IN ONE KIT
01	BACILLUS MEGATERIUM	1.0X10^7	C.F.U./GM	1.000 KG
02	PSEUDOMONAS ALCALIGENES	1.0X10^7	C.F.U./GM	1.000 KG
03	TRICHODERMA REESIE	1.0X10^7	C.F.U./GM	0.500 KG
04	ASPER GILLUS FUMIGATUS	1.0X10^7	C.F.U./GM	1.000 KG
			TOTAL -	**3.500 KG**
नोट : प्रदायगी के साथ इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जावे।				

प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर प्रदायक के विरूद्ध आर.सी.ओ. की शर्तो अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

......3

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित बायो इनोक्योलेंट किट प्रदाय किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत "भुगतान पश्चात भुगतान" की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा बायो इनोक्यूलेंट किट हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 03.02.2025 में दिये गये हैं। आदेश में तकनीकी मापदण्डों का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके।

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा बायो इनोक्यूलेंट किट हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 03.02.2025 अनुसार रहेंगी।

प्रबंधक (विपणन)
16/07/25

1309
16-7-25

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल।
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश वन भवन, तुलसी नगर, लिंक रोड नम्बर–2, भोपाल।
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. **M/S INTERNATIONAL BIOTECH PRODUCTS,** 216/2, GANDHI NAGAR, RATLAM

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

प्रबंधक (विपणन)
16/07/25

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / BIO INN. KIT / 2025–26 / 1310 दिनांक : 15.07.2025
16

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त)/ क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त)

विषय : BIO INNOCULANT KIT की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : BIO INNOCULANT KIT के लिए निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 03.02.2025

निगम द्वारा BIO INNOCULANT KIT हेतु ''ऑन–लाईन'' रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आमन्त्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध निष्पादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग – अनलोडिंग एवं इंस्टालेशन सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S KRISHI BIO PRODUCTS & RESEARCH PVT. LTD. 10/83 STATION ROAD, KIBE COLONY, RAU INDORE - 453331 CONTECT PERSON : RAVI UPADHYAY, DIRECTOR : 9926422222, 9111171271 E-MAIL : krishibio.indore@gmail.com

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
01	बायो–इनोक्यूलेंट किट (BASCILLUS MEGATERIUM PSEUDOMONAS ALCALIGENES TRICHODERMA REESIE ASPER GILLUS FUMIGATUS)	709.50	85.14	794.64	709.50	35.48	89.40	834.37

प्रदायगी की शर्ते :

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **15.07.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **15.07.2025** से **14.10.2025**) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में ''ऑन–लाईन'' रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार BIO INNOCULANT KIT का प्रदाय आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, क्रेता विभाग से प्राप्त मांग में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) सामग्री की प्रदायगी क्रेता विभाग को जिला प्रबंधक एवं क्रेता विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति में भौतिक सत्यापन उपरांत निगम द्वारा जारी चालान से की जावे। किसी भी स्थिति में क्रेता विभाग को प्रदायक द्वारा सीधे प्रदायगी न की जावे, यह सुनिश्चित किया जावे।

(ब) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(स) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित BIO INNOCULANT KIT प्रदाय करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(द) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> – बायो इनोक्योलेंट किट के लिए सामग्री की गुणवत्ता में निम्नानुसार कॉलोनी गणना होनी चाहिये :–

S.N.	TYPE OF BACTERIA/FUNGI	COLONY COUNT		QUANTITY IN ONE KIT
01	BACILLUS MEGATERIUM	$1.0X10^{7}$	C.F.U./GM	1.000 KG
02	PSEUDOMONAS ALCALIGENES	$1.0X10^{7}$	C.F.U./GM	1.000 KG
03	TRICHODERMA REESIE	$1.0X10^{7}$	C.F.U./GM	0.500 KG
04	ASPER GILLUS FUMIGATUS	$1.0X10^{7}$	C.F.U./GM	1.000 KG
			TOTAL -	**3.500 KG**
नोट : प्रदायगी के साथ इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जावे।				

प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर प्रदायक के विरूद्ध आर.सी.ओ. की शर्तो अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित बायो इनोक्योलेंट किट प्रदाय किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत "भुगतान पश्चात् भुगतान" की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा बायो इनोक्यूलेंट किट हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 03.02.2025 में दिये गये हैं। आदेश में तकनीकी मापदण्डों का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके।

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा बायो इनोक्यूलेंट किट हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 03.02.2025 अनुसार रहेंगी।

प्रबंधक (विपणन)
16/07/25

1311
16-7-25

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल।
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश वन भवन, तुलसी नगर, लिंक रोड नम्बर–2, भोपाल।
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. **M/S KRISHI BIO PRODUCTS & RESEARCH PVT. LTD.** 10/83 STATION ROAD, KIBE COLONY, RAU INDORE - 453331

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)
16/07/25

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / BIO INN. KIT / 2025–26 / 1314 दिनांक : 15.07.2025
16

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त)/ क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त)

विषय : BIO INNOCULANT KIT की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : BIO INNOCULANT KIT के लिए निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 03.02.2025

निगम द्वारा BIO INNOCULANT KIT हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध निष्पादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग – अनलोडिंग एवं इंस्टालेशन सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S MICROPLEX INDIA (BRANCH OFFICE) : 54, MIG MLA QUARTER, JAWAHAR CHOWK, BHOPAL (MP) - 462003 CONTECT PERSON : BHARAT MAHESHWARI, MANAGER : 9826055273 E-MAIL : micoplex.mp@gmail.com

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
01	बायो–इनोक्यूलेंट किट (BASCILLUS MEGATERIUM PSEUDOMONAS ALCALIGENES TRICHODERMA REESIE ASPER GILLUS FUMIGATUS)	**709.50**	**85.14**	**794.64**	**709.50**	**35.48**	**89.40**	**834.37**

प्रदायगी की शर्ते :

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **15.07.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **15.07.2025** से **14.10.2025**) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार BIO INNOCULANT KIT का प्रदाय आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, क्रेता विभाग से प्राप्त मांग में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. * BHOPAL *

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग की जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) सामग्री की प्रदायगी क्रेता विभाग को जिला प्रबंधक एवं क्रेता विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति में भौतिक सत्यापन उपरांत निगम द्वारा जारी चालान से की जावे। किसी भी स्थिति में क्रेता विभाग को प्रदायक द्वारा सीधे प्रदायगी न की जावे, यह सुनिश्चित किया जावे।

(ब) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(स) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित BIO INNOCULANT KIT प्रदाय करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(द) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> – बायो इनोक्योलेंट किट के लिए सामग्री की गुणवत्ता में निम्नानुसार कॉलोनी गणना होनी चाहिये :–

S.N.	TYPE OF BACTERIA/FUNGI	COLONY COUNT		QUANTITY IN ONE KIT
01	BACILLUS MEGATERIUM	$1.0X10^7$	C.F.U./GM	1.000 KG
02	PSEUDOMONAS ALCALIGENES	$1.0X10^7$	C.F.U./GM	1.000 KG
03	TRICHODERMA REESIE	$1.0X10^7$	C.F.U./GM	0.500 KG
04	ASPER GILLUS FUMIGATUS	$1.0X10^7$	C.F.U./GM	1.000 KG
			TOTAL -	**3.500 KG**
नोट : प्रदायगी के साथ इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जावे।				

प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर प्रदायक के विरूद्ध आर.सी.ओ. की शर्तो अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

......3

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित बायो इनोक्योलेंट किट प्रदाय किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत "भुगतान पश्चात् भुगतान" की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा बायो इनोक्यूलेंट किट हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 03.02.2025 में दिये गये हैं। आदेश में तकनीकी मापदण्डों का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके।

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा बायो इनोक्यूलेंट किट हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 03.02.2025 अनुसार रहेंगी।

प्रबंधक (विपणन)
16/07/25

प्रतिलिपि :- 1315 / 16-7-25

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल।
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश वन भवन, तुलसी नगर, लिंक रोड नम्बर–2, भोपाल।
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. **M/S MICROPLEX INDIA (BRANCH OFFICE) :** 54, MIG MLA QUARTER, JAWAHAR CHOWK, BHOPAL (MP) - 462003

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

प्रबंधक (विपणन)
16/07/25

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎ 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

दिनांक : 15.07.2025
16

मुख्या / विपणन / BIO INN. KIT / 2025–26 / 1316

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त)/ क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त)

विषय : BIO INNOCULANT KIT की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : BIO INNOCULANT KIT के लिए निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 03.02.2025

निगम द्वारा BIO INNOCULANT KIT हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध निष्पादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय–विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग – अनलोडिंग एवं इंस्टालेशन सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S INDORE BIOTECH INPUTS AND RESEACH PVT. LTD. 49-C, FIRST FLOOR, INDRAPURI COLONY, NEAR BHANWARKURA SQUARE, INDORE - 452001 (MP)
CONTECT PERSON : JEEVAN DIKE, DIRECTOR : 7389909123 E-MAIL : ibirpl@gmail.com

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
01	बायो–इनोक्यूलेंट किट (BASCILLUS MEGATERIUM PSEUDOMONAS ALCALIGENES TRICHODERMA REESIE ASPER GILLUS FUMIGATUS)	709.50	85.14	794.64	709.50	35.48	89.40	834.37

प्रदायगी की शर्तें :

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक 15.07.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 15.07.2025 से 14.10.2025) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार BIO INNOCULANT KIT का प्रदाय आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, केता विभाग से प्राप्त मांग में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) सामग्री की प्रदायगी केता विभाग को जिला प्रबंधक एवं केता विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति में भौतिक सत्यापन उपरांत निगम द्वारा जारी चालान से की जावे। किसी भी स्थिति में केता विभाग को प्रदायक द्वारा सीधे प्रदायगी न की जावे, यह सुनिश्चित किया जावे।

(ब) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(स) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित BIO INNOCULANT KIT प्रदाय करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(द) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> – बायो इनोक्योलेंट किट के लिए सामग्री की गुणवत्ता में निम्नानुसार कॉलोनी गणना होनी चाहिये :–

S.N.	TYPE OF BACTERIA/FUNGI	COLONY COUNT		QUANTITY IN ONE KIT
01	BACILLUS MEGATERIUM	$1.0X10^7$	C.F.U./GM	1.000 KG
02	PSEUDOMONAS ALCALIGENES	$1.0X10^7$	C.F.U./GM	1.000 KG
03	TRICHODERMA REESIE	$1.0X10^7$	C.F.U./GM	0.500 KG
04	ASPER GILLUS FUMIGATUS	$1.0X10^7$	C.F.U./GM	1.000 KG
			TOTAL -	**3.500 KG**
नोट : प्रदायगी के साथ इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जावे।				

प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर प्रदायक के विरूद्ध आर.सी.ओ. की शर्तो अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

......3

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित बायो इनोक्योलेंट किट प्रदाय किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा बायो इनोक्यूलेंट किट हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 03.02.2025 में दिये गये हैं। आदेश में तकनीकी मापदण्डों का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके।

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा बायो इनोक्यूलेंट किट हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 03.02.2025 अनुसार रहेंगी।

1317
16-7-25

प्रबंधक (विपणन)
16/07/25

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल।
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश वन भवन, तुलसी नगर, लिंक रोड नम्बर–2, भोपाल।
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. **M/S INDORE BIOTECH INPUTS AND RESEACH PVT. LTD.** 49-C, FIRST FLOOR, INDRAPURI COLONY, NEAR BHANWARKURA SQUARE, INDORE - 452001 (MP)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. Bhopal

प्रबंधक (विपणन)
16/07/25

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎ 0755-2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / BIO INN. KIT / 2025–26 / 1312 दिनांक : 15.07.2025
16

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त) / क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त)

विषय : BIO INNOCULANT KIT की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : BIO INNOCULANT KIT के लिए निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 03.02.2025

निगम द्वारा BIO INNOCULANT KIT हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओ से सहमति प्राप्त कर अनुबंध निष्पादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग – अनलोडिंग एवं इंस्टालेशन सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S ADVANCE CROPCARE (INDIA) PVT. LTD. 203, INDORE TRADE CENTER, SOUTH TUKOGANJ INDORE - 452001 (MP) CONTECT PERSON : VISHWANATH SINGH, CEO : 9302110490, 9425358104 E-MAIL : microtachagroindore@gmail.com

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
01	बायो–इनोक्यूलेंट किट (BASCILLUS MEGATERIUM PSEUDOMONAS ALCALIGENES TRICHODERMA REESIE ASPER GILLUS FUMIGATUS)	709.50	85.14	794.64	709.50	35.48	89.40	834.37

__प्रदायगी की शर्ते :__

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **15.07.2025** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **15.07.2025** से **14.10.2025**) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार BIO INNOCULANT KIT का प्रदाय आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, क्रेता विभाग से प्राप्त मांग में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

......2

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) सामग्री की प्रदायगी केता विभाग को जिला प्रबंधक एवं केता विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति में भौतिक सत्यापन उपरांत निगम द्वारा जारी चालान से की जावे। किसी भी स्थिति में केता विभाग को प्रदायक द्वारा सीधे प्रदायगी न की जावे, यह सुनिश्चित किया जावे।

(ब) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(स) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित BIO INNOCULANT KIT प्रदाय करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(द) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> – बायो इनोक्योलेंट किट के लिए सामग्री की गुणवत्ता में निम्नानुसार कॉलोनी गणना होनी चाहिये :–

S.N.	TYPE OF BACTERIA/FUNGI	COLONY COUNT		QUANTITY IN ONE KIT
01	BACILLUS MEGATERIUM	$1.0X10^7$	C.F.U./GM	1.000 KG
02	PSEUDOMONAS ALCALIGENES	$1.0X10^7$	C.F.U./GM	1.000 KG
03	TRICHODERMA REESIE	$1.0X10^7$	C.F.U./GM	0.500 KG
04	ASPER GILLUS FUMIGATUS	$1.0X10^7$	C.F.U./GM	1.000 KG
			TOTAL -	**3.500 KG**
नोट : प्रदायगी के साथ इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जावे।				

प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर प्रदायक के विरूद्ध आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

......3

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

5. **भुगतान –** प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित बायो इनोक्योलेंट किट प्रदाय किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा बायो इनोक्यूलेंट किट हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 03.02.2025 में दिये गये हैं। आदेश में तकनीकी मापदण्डों का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके।

7. **अधिरोपित शास्ति :** In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

8. **दरों की एक मात्र मान्यता :** अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्तें :** उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा बायो इनोक्यूलेंट किट हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 03.02.2025 अनुसार रहेंगी।

प्रबंधक (विपणन)
16/07/25

1313
16-7-25

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल।
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश वन भवन, तुलसी नगर, लिंक रोड नम्बर–2, भोपाल।
7. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. **M/S ADVANCE CROPCARE (INDIA) PVT. LTD.** 203, INDORE TRADE CENTER, SOUTH TUKOGANJ INDORE - 452001 (MP)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)
16/07/25